उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1528/ग्यारह-9(15)/17-30प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(59)-2017

लखनऊ:: दिनांक:: 23 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्यपाल ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं था और जिन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त अधिनियम सन् 2017 की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्ध संबंधी स्थितियाँ सम्मिलित हैं, माल की सावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेंगे, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली में यथा उल्लिखित ब्यौरे और विवरणी प्रस्तुत करेंगे और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वही होगी जो उक्त अधिनियम सन् 2017 में विनिर्दिष्ट है ।

2- यह अधिसूचना तारीख 13 अक्टूबर, 2017 को प्रवृत्ति हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव